प्रकरण संख्या 52 / 2019 2019 / 00205 ता0 रजू 28.08.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

हरवीर पुत्र धांधू उम्र 50 साल जाति गुर्जर निवासी टीकैतपुरा हाल निवासी बिरवास तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील तहत धारा 75 एल0आर0एक्ट अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 13.08.2019 व उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरवीर मु.नं. 17 / 19 तहत धारा 91 एल0आर0एक्ट जिसके जरिये प्रार्थी अपीलांट्स को पैनल्टी व 30 दिन के दीवानी कारावास के आदेश दिये गये है

निर्णय

दिनांक 18.09.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मांची द्वारा ग्राम बिरवास की आराजी खसरा नं. 114 / 12 में रकबा 1–10 बीघा किस्म गै.मु.बेहड़ पर पश्चात्वर्ती एवं आराजी ख.नं. 114 / 30 रकबा 2–00 बीघा किस्म बारानी –3 में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किये जाने एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत गुड़ला द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार करौली में दायर किये गये मुकदमा नं. 17 / 2019 में अपीलार्थी की बेदखली, शास्ति 70 रुपये एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा का पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज के विरोधाभासी निर्णय पारित कर महेन्द्र की हाजरी के स्थान पर हरवीर पुत्र धांधू को सजायाब करने में विधि की भारी भूल की है इसलिये निर्णय जैर अदालत निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के भाई द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्रार्थी गोवर्धन पदयात्रा में जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और प्रार्थना पत्र के निर्णय के अनुसार यह स्वीकार नहीं किया कि विवादित जमीन पर प्रार्थी के भाई महेन्द्र ने यह कहा हो कि प्रार्थी ने विवादित जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित कर दिये गये दीवानी जेल के आदेश गैरकानूनी होने से निरस्त होने योग्य है। निर्णय में पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए सजायाब किये जाने में कानूनी भूल की है इसलिये निर्णय जैर अदालत निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इससे पूर्व का कोई अतिक्रमण का निर्णय ना तो पत्रावली पर प्रस्तुत किया है ना ही हल्का पटवारी ने सशपथ न्यायालय में कोई बयान दिया है और ना ही प्रार्थी को जिरह का मौका दिया गया है और यहां तक की प्रार्थी को जबावदेही का मौका नही दिया गया है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने पर कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दीगर व्यक्ति की स्वीकारोक्ति नहीं होते हुए और स्वीकारोक्ति होते हुए सजायाब नही किया जा सकता है। ग्राम की रंजिशवश राजनैतिक द्वेषता के

कारण गैरकानूनी तौर पर निर्णय पारित किया है। खसरा नं. 114 में से खातेदारी प्रार्थी के परिवारजन के नाम होने बावत् न्यायालय सहायक कलक्टर करौली से स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद गैरसायलान के हल्का पटवारी से साज करके प्रार्थी के खिलाफ गलत रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा नं. 114 गलत तरमीम करके गलत रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा की गई है, इसलिये भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी निर्दोष व्यक्ति है एवं प्रार्थी रेगूलाईजेशन के लिये आवेदन किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिये बगैर सजायाब करने में कानूनी भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि पटवारी हल्का मांची द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिरवास की आराजी खसरा नं. 114/12 में रकबा 1–10 बीघा किस्म गै.मु.बेहड़ पर पश्चात्वर्ती एवं आराजी ख.नं. 114/30 रकबा 2–00 बीघा किस्म बारानी–3 में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत गुड़ला द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि की गई है। इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील अपीलार्थी के भाई पर हुई है। सुनवाई की नियत दिनांक को अप्रार्थी का भाई उपस्थित हुआ जिसने उक्त विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना स्वीकार किया जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का के लिखित बयान लिये गये जों शामिल पत्रावली हैं। विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं होकर उसके भाई पर हुई है जिसे असल तामील नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी का भाई इस प्रकरण में सह खातेदार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के भाई द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने पर अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 13.08.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली